ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 193-196

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

जनपद मैनपुरी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम

डॉ0 अखिल कुमार सक्सेना
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र अनुसन्धान विभाग, नेशनल पी.जी. कालेज, भोगाँव, मैनपुरी, (उ0प्र0), भारत

Received- 06.05.2019, Revised- 11.05.2019, Accepted - 15.05.2019 E-mail: -drskpal@gmail.com

सारांश : जनपद मैनपुरी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से उद्यमी निम्न बैंकों एवं उनकी प्रमुख शाखाओं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

कुंजीभूत शब्द– प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी0 सी0 लिलिट, व्यवसाय, बियरर एवं आर्डर चेक, कच्चा माल।

तहसील	विकास खण्ड	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें
1– मैनपुरी	1– मैनपुरी	1– बैंक ऑफ इण्डिया, मैन शाखा, मैनपुरी
		2– बैंक ऑफ इण्डिया, मधाऊ शाखा मैनपुरी
		3– भारतीय स्टेट बैंक, स्टेशन रोड, मैनपुरी
		4– भारतीय स्टेट बैंक, मण्डी शाखा, मैनपुरी
		5– पंजाब नेशनल बैंक, सदर बाजार, मैनपुरी
		6– पंजाब नेशनल बैंक, क्लब घर शाखा, मैनपुरी
		7– बैंक ऑफ बड़ौदा, मैनपुरी
		8– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मैनपुरी
		9– इलाहाबाद बैंक, मैनपुरी
	2– कुरावली	10– बैंक ऑफ इण्डिया, कुरावली, मैनपुरी
		11– भारतीय स्टेट बैंक, कुरावली, मैनपुरी
		12– बैंक ऑफ इण्डिया ज्योति, मैनपुरी
	3– घिरोर	13– बैंक ऑफ इण्डिया, घिरोर, मैनपुरी
2– करहल	1– करहल	1– बैंक ऑफ इण्डिया करहल, मैनपुरी
		2– भारतीय स्टेट बैंक करहल, मैनपुरी
		3– भारतीय स्टेट बैंक मुहब्बतपुर, मैनपुरी
		4– बैंक ऑफ इण्डिया रम्पुरा, मैनपुरी
	2– बरनाहल	5– बैंक ऑफ इण्डिया बरनाहल, मैनपुरी
3– भोगाँव	1– बेवर	1– बैंक ऑफ इण्डिया, बेवर मैनपुरी
	2– सुल्तानगंज	2– बैंक ऑफ इण्डिया बेवर, मैनपुरी
	3– किशनी	3– भारतीय स्टेट बैंक किशनी, मैनपुरी
	4– जागीर	4– भारतीय स्टेट बैंक भोगाँव, मैनपुरी
		5– बैंक ऑफ इण्डिया भोगाँव।

बैंकों से व्यवहार करने एवं वित्त पोषण करने हेतु योजना के लाभार्थी को निम्न बैंकिंग शब्दावली की जानकारी भी होना आवश्यक है–

1– चालू खाता (करंट एकाउण्ट)– व्यावसायिक बैंक एकाउण्ट को करंट एकाउण्ट कहा जाता है, ये घरेलू सेविंग्स एकाउण्ट से भिन्न होता है। करंट एकाउण्ट में बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स होना चाहिये। इस एकाउण्ट में रखे गये धन पर कोई ब्याज देय नहीं होता है। सभी व्यावसायिक लेन–देन करंट एकाउण्ट के माध्यम से ही किये जाते हैं।

2– सावधि ऋण– सावधि ऋण (टर्म लोन) एक निश्चित अवधि के लिए होता है और इसे एक अवधि के अन्दर किश्तों में वापस करना पड़ता है।

3– कैश क्रेडिट सीमा (सी0सी0 लिमिट)– सी0सी0 लिमिट इस प्रकार का ऋण होता है, जो बैंकों द्वारा आवर्ती व्यय हेतु प्रदान किया जाता है। इसमें श्रेणी की एक अधिकतम् ऋण सीमा निर्धारित कर दी जाती है। जिस सीमा तक लाभार्थी रकम निकाल सकता है। विशेष बात यह है कि इसमें लाभार्थी को वास्तविक निकाली गई रकम पर ही ब्याज देना होता है। इसमें निकाली गई रकम को वापस जमा करके फिर दोबारा निकालने की सुविधा होती है। इसकी सीमा व्यवसाय की बढोत्तरी के साथ–साथ बढ़ाई जाती रहती है।

4– बियरर एवं आर्डर चेक– बियरर चे का उदाहरण भूमि क्रय पर व्यय, भवन निर्माण पर व्यय, मशीनरी उपकरण व औजार पर व्यय इत्यादि।

5– स्थायी एवं कार्यशील पूँजी– समस्त उद्यमों में पूंजी निवेश दो प्रकार का होता है। एक पूंजी निवेश उन संपत्तियों में किया जाता है जिन्हें एक बार ले लेने के बाद बार–बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वरन् यह लम्बे समय तक चलती रहती है। जैसे मशीन, भवन, जमीन आदि। इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। बार–बार आवश्यकता पड़ती है–जैसे कच्चा माल इत्यादि। निरन्तर चलने वाले व्ययों के लिए उद्यमी को कुछ ऐसी पूंजी का प्रबन्ध रखना पड़ता है जिसे वह तुरन्त उपयोग में ला सके। इसको कार्यशील पूंजी कहते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से लाभार्थी द्वारा जो ऋण लिया जाता है, उसे ब्याज सहित निर्धारित समय में वापस करना होता है। इस धन की वापसी तभी संभव है, जब लाभार्थी अपना व्यवसाय प्रोजेक्ट इस हिसाब से चलाये कि उसकी आमदनी इतनी हो, जिससे वह अपना खर्च निकालते हुए बैंक की किस्त भी जमा कर सके। बैंक का ऋण वापस करने के साथ ही साथ, बैंक का विश्वास भी जीतना है, जिससे लाभार्थी यह सिद्ध कर दें कि उसका प्रोजेक्ट सही ढंग से चल रहा है।

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्षेत्र– भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मैनपुरी जनपद को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों की श्रेणी में रखा गया है। जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा विकसित एक औद्योगिक क्षेत्र मैनपुरी–भोगाँव रोड पर ग्राम रुई सिनौरा पर है। इसके अतिरिक्त लघु औद्योगिक संस्थान ग्राम धारऊ ज्योति रोड मैनपुरी तथा औद्योगिक क्षेत्र मल्लामई जो भोगॉव–बेवर जी0टी0 रोड पर विकास खण्ड बेवर में कपिल मुनि आश्रम के सामने स्थिति है। जनपद में पूर्व से ही बड़े–बड़े उद्योगों का अभाव रहा है तथा वर्तमान में कोई वृहद पैमाने का उद्योग स्थापित नहीं है। जनपद में मुख्य रूप से आटा मिल, वर्फ और शीतगृह है। जनपद में धान की अधिक पैदावार होने के कारण जनपद में धान मिल अधिक संख्या में है। बड़े एवं भारी उद्योगों के अभाव में कुटीर व लघु उद्योगों का जनपद की अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान रहा है। प्रधामंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत मैनपुरी जनपद में सम्भावित लाभप्रद योजनायें निम्न हैं–

1– उद्योग मद की इकाईयाँ– 1– खाद्य एवं प्रसंस्करण– खाद्य तेल, मसाला, आटा पिसाई, घी, पनीर, मक्खन, कनफैक्शनरी, मीठी सुपारी, गजक, नमकीन दालमोठ, आइस कैण्डी, आचार, जैम जली, मुरब्बा, विभिन्न पन्रकार की दाले, ब्रेड बिस्कुट, मिठाइयाँ, आलू चिप्स, पापड़, वरी, च्योड़ा।

2– इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रोनिक्स– टी0वी0 रेड़ियों, मरम्मत सर्विसिंग, विद्युत उपकरणों की मरम्मत, स्टेपलाइजर एसेम्बलिंग, इलेक्ट्रोनिक खिलौने, इमरजैंसी लैम्प, रेगूलेटर, टेपरिकार्डर, कूलर फैन, सीलिंग फैन, एसेम्बलिंग, विद्युत हीटर, स्वीज, स्टार्टर, मिनी एन्कर वल्ब, ट्रांसफार्मर, गैस लाईलर, घड़ियों की मरम्मत/एसेम्बलिंग।

3– यांत्रिक इंजीनियरिंग पर आधारित– ट्रेक्टर ट्राली, कृषि यंत्र, स्टील फर्नीचर, अलमारी, कूलर बाड़ी, ट्रक, बैड, चैनल, शटर, सेनेटरी फिटिंग, वायरलेंस, साइकिल पार्टर्स, नट, बोल्ट, पेपर, पीन, क्लिप, हैंगर, लोहे के चौखट, जंगला, गेट, स्टोव।

4– होजरी एवं टेक्सटाइल्स– सिलेसिलाये कपड़ें, मौजे, बनियान, बैग, साड़ी, फाल, लिहाफ, बैडशीट, गद्दें, टैण्ट कनात, शीट कवर, स्कूल ड्रेस।

5– प्लास्टिक रसायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद– डिस्टेम्पर, पेन्टस, वार्निश, रेड आक्साईड, डिटर्जेन्ट पाउडर केक, फिनाईल, नैपथीन, शूपालिस, स्याही, रिफिल्स, सेविंग क्रीम, कीटनाशक दवायें, गमपेस्ट, टूथपेस्ट, चाक, हेयर सैम्पू, आतिश, फलझड़ी, कलर्स, इंक रिमूवर, प्लास्टिक के शू चप्पल, प्लास्टिक दाना, बैग, खिलौना, कंघा, ब्रुश, चश्मा।

6– चर्म एवं चर्म उत्पादक– चमड़ें के जूते, चप्पल, बैग, घड़ी के फीते, बैल्ट, पशुओं के पट्टे, पर्स।

7– बुडेन/पेपर प्रोडक्ट– लकड़ी फर्नीचर, किबाड़, जंगला, चारपाई, पेपर प्रिंटिंग, कापी, लिफाफे, कवर, मिठाई के डिब्बे, कोरूगेटिट के डिब्बे, रजिस्टर, अभ्यास पुस्तिका।

8– अन्य प्रकार की इकाईयाँ– कैटिल फीड, आयुर्वेदिक दवायें, धूप, अगरबत्ती, पत्तल, दोनों व किट बनाना, जरी जरदोजी, पेंटिंग, ऊनी कालीन, तारकसी, धागा, इलेक्ट्रीक एसेसरीज, चूना, प्लास्टर ऑफ पैरिस, लेंस ग्राइडिंग।

2– सेवा/प्रतिष्ठान एवं व्यवसाय– ड्राइक्लीनिंग/रफूगर, इलेक्ट्रोस्टेट/टाईपिंग लेमीनेशन, पी0सी0ओ0 हेयर ड्रेसिंग, फोटो स्टूडियो, वीडियोग्राफिक्स, टेण्ट हाउस, आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक दवाखाना, मेडिकल स्टोर्स, मिठाई/हलवाई की दुकान, पेंटिग, वेब्रिज/धर्मकांटा, आटो सर्विसिंग, फल संरक्षण, मेडिकल क्लीनिक, साईकिल मरम्मत/सर्विसंग, पान की दुकान, परचून की दुकान, हार्डवेयर, खाद की दुकान, जरनल स्टोर, रेडमेड वस्त्र, कपड़ा व्यवसाय, दवाईयों की बिक्री, भैंस पालन, आप्टीकल, सीमेन्ट दुकान, मोटर पार्टस, आटा चक्की, बिल्डिंग मैटीरियल, बांस बल्ली, ट्रैक्टर मरम्मत सर्विसंग, बिजली की दुकान, मोटर साईकिलें, माचिस ऐजेन्सी, दोना–पत्तल दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी, पेंटस की दुकान, सिलाई, कढ़ाई, प्रिंटिंग प्रेस, हस्तकला, ज्वैलरी, आदि।

चूँकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा सारे देश में चलायी जा रही है और सारे देश की भौगोलिक स्थिति व उपलब्ध साधन भिन्न–भिन्न हैं। अतः इस योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग भी अलग–अलग जगह पर भिन्न प्रकार के हैं। जहाँ कच्चा माल जिस उद्योग के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है और विपणन की व्यवस्था उचित हो जाती हैं। वही वह उद्योग लोगों द्वारा स्थापित कर लिया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना हेतु पात्रता– सरकार का प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी योजनाओं को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी एवं बेरोजगारी को खत्म कर, समता मूलक समाज की स्थापना करना रहता है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार युवा श्रमबल को स्वरोजगार देने एवं उनकी बुद्धि और कौशल का देशहित में भरपूर फायदा लेने का प्रयास करती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ ही साथ जो कोई योजना लागू की जाती है, तो सरकार का उद्देष्य रहता है कि योजना का लाभ उन्हीं

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

पात्र व्यक्तियों को मिले, जिनके लिए योजना लागू की गई है। अतः सरकार कुछ ऐसे मानदण्ड निर्धारित कर देती है कि इन मानदण्डों पर जो खरा उतरेगा वही योजना का लाभ लेने का हकदार होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अर्न्तगत आवेदन करने व लाभ पाने हेतु अभ्यर्थी को निम्न अर्हताऐं योजना में आवश्यक हैं–

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पात्रता हेतु–

1– शैक्षिक योग्यता– कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता/अनुमोदित किसी ट्रेड में कम से कम 6 माह की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उन्हें योजना में वरीयता प्रदान की जायेगी।

2– अभ्यर्थी की आयु– अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई) जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

3– निवासी– कम से कम 3 वर्ष से उस क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। नव विवाहित महिलाओं के लिए शिथिलता का भी प्रावधान है।

4– पारिवारिक आय– अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आमदनी रू0 40,000 से अधिक न हो। परिवार का अर्थ पति–पत्नी एवं माता–पिता से है एवं पारिवारिक आय में मजदूरी, वेतन, कृषि, व्यवसाय, किराया इत्यादि सभी श्रोतों से आय सम्मिलित है।

5– चूककर्ता– अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का बाकीदार नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अन्य सरकारी योजनाओं से सम्बद्ध राज्य सहायता के अन्तर्गत पहले ही सहायता दी गई हो, वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।

उपरोक्त पात्रता रखने वाले व्यक्तियों से व्यापक प्रचार–प्रसार के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। लाभार्थी का चयन जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स कमेटी के साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं। बैंकों से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् लाभार्थियों हेतु निम्न प्रकार प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होती है–

अ– उद्योग– इसके अन्तर्गत ऋण स्वीकृत लाभार्थियों को 20 दिन का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है, तथा प्रशिक्षण के उपरान्त लाभार्थी को प्रमाण पत्र तथा रू0 300.00 का मानदेय दिया जाता है।

ब– सेवा एवं व्यवसाय– इसके अन्तर्गत ऋण स्वीकृत लाभार्थियों को 10 दिन का अनिवार्य प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है तथा प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी को प्रमाण पत्र तथा रू0 150.00 मानदेय दिया जाता है।

पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को उद्योग व्यापार एवं सेवा सम्बन्धी परियोजनाओं के प्रारम्भ किए जाने से पूर्व एवं बाद में कुछ औपचारिकताओं की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे–

1– श्रम विभाग से सम्बन्धित कानून–

क– शाप एक्ट– यदि लाभार्थी दुकान चलाना चाहता है, तो उसे जिला स्तर पर उपलब्ध श्रम प्रवर्तन अधिकारी से लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

ख– बाल श्रम कानून– लाभार्थी अपनी दुकान में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सेवा में नहीं रख सकेगा अन्यथा उस पर चाइल्ड लेबर एक्ट लागू हो जाएगा।

ग– फैक्टरी एक्ट के अर्न्तगत पंजीकरण– यदि लाभार्थी उद्योग चला रहा है और उस उद्योग में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तथा विद्युत चालित मशीन लगी है तो उसे कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि विद्युत चालित मशीन नहीं है तो 20 या 20 से अधिक कर्मचारी होने पर यह कानून लागू होता है।

2– खाद्य विभाग से सम्बन्धित लाइसेन्स– यदि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभार्थी किसी खाद्य वस्तु जैसे गेहूँ, चावल, दाल आदि को चला रहा है, तो उसे भण्डारण के लिए खाद्य विभाग से लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि बिस्कुट, आइसक्रीम आदि जैसी वस्तुओं का उत्पादन लाभार्थी करता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

3– व्यापार कर से सम्बन्धित पंजीकरण– यदि योजना का लाभान्वित किसी प्रकार का उद्योग, व्यापार या सेवा सम्बन्धित परियोजना चला रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार कर विभाग से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

4– लोकल सेल्फ गर्वनमेन्ट से सम्बन्धित लाइसेन्स– नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/कारपोरेशन तथा जिला परिषद क्षेत्र में यदि कोई इकाई स्थापित की जाती है,तो पूर्व अनुमति आवश्यक है, जिसके लिए वांछित शुल्क सहित आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय में देना होता है।

5– आबकारी विभाग से सम्बन्धित लाइसेन्स– यदि लाभार्थी द्वारा तम्बाकू पर आधारित या स्प्रिट या मुलेसिस पर आधारित कोई उद्योग या व्यापार स्थापित

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

किया जाता है तो उसे आबकारी विभाग (राज्य या केन्द्र) से लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ेगा।

8– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित प्रमाण पत्र– यदि योजना के लाभार्थी द्वारा स्थापित इकाई प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के अन्तर्गत आती है तो लाभार्थी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्धारित प्रपत्र प्रार्थना–पत्र देकर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

7– कृषि विभाग से सम्बन्धित लाइसेन्स– प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभार्थी यदि उर्वरक, कीटनाशक या ऐसा किसी अन्य वस्तु का उत्पादन कर रहा है या व्यापार कर रहा है तो उसे कृषि विभाग से निर्धारित लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

8– स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित लाइसेन्स– यदि लाभार्थी दवा की दुकान या दवाओं का निर्माण कर रहा है, तो उसे ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

9– आयकर रिटर्न– यदि लाभार्थी आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आय कर रहा है, तो प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न दाखिल किया जाना अनिवार्य है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राम, आहूजाः सामाजिक समस्यायें– द्वितीय संस्करण 2004.
2. दत्त, रुद्र एवं के0पी0 एम0 सुन्दरम्ः भारतीय अर्थ व्यवस्था चालीसवॉ संस्करण–2005.
3. प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रशिक्षण पुस्तिका
4. कपिल एच0ए0–व्यवहारिक विज्ञानों में अनुसन्धान विधियॉ, हरप्रसाद भार्गव एण्ड सन्स, आगरा–1984.
5. सिंह, एस0डी0ः वैज्ञानिक सामाजिक अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व कमल प्रकाशन इन्दौर मध्य प्रदेश 1961.
6. प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थशास्त्र अतिरिक्तांक संस्करण– 2005.
7. प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रोफाइल वर्ष 1998 से 1999 जनपद मैनपुरी।

*****